

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीकरी जिला बड़वानी  
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 161/2009  
संस्थित दिनांक 07.05.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
अंजड़, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

- अभियोगी

वि रु द्ध

राकेश पिता प्रकाश योगी, उम्र 23 वर्ष  
निवासी ईदगाह टेकडी सनावद

- अभियुक्त

अभियोजन द्वारा एडीपीओ - श्री अकरम मंसूरी
अभियुक्त द्वारा अभिभाषक - श्री विशाल कर्मा

-: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 27-12-2016 को घोषित)

01- पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 41/2009 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 22.02.2009 को शाम के लगभग 4:30 बजे राजपुर रोड, बिलवा फाटे के पहले सोसाड पुलिया पर मारुति वेन क्रमांक एम.पी.09-बी.ए. 1545 को लोक मार्ग पर उपेक्षा या उतावलेपन चलाकर दो मोटरसाईकिलों को टक्कर मारकर उसमें सवार लक्ष्मण पिता पूरा, अमरसिंह पिता दगडू तथा नरेन्द्र पिता मौतीलाल की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित करने, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, के लिए भादवि की धारा 304-ए का अभियोग है।

02- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था तथा बचाव पक्ष की ओर से मृतक लक्ष्मण पिता पूरा, नरेन्द्र पिता मौतीलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी स्वीकार की गई है तथा वाहन क्रमांक एम.पी.09-बी.ए-1545 की मेकेनिकल जाँच रिपोर्ट प्रदर्श पी 18 भी स्वीकार की गई है।

03- अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.02.2009 को थाना अंजड़ के आरक्षक विनोद द्वारा यह सूचना थाना अंजड़ पर लाकर दी कि जिला चिकित्सालय बड़वानी में ईलाज के दौरान लक्ष्मण पिता पूराजी, अमरसिंह पिता दगडू तथा नरेन्द्र पिता मौतीलाल की वाहन दुर्घटना में चोटें आने से मृत्यु हो गई है, इस सूचना के आधार पर थाना अंजड़ में मर्ग क्रमांक 12/2009, 13/2009, 16/2009 दर्ज किया गया, उसकी जाँच प्रधान आरक्षक दुलीचंद पाटीदार द्वारा की गई और जाँच में पाया गया कि मारुति वेन क्रमांक एम.पी.09-बी.ए. 1545 के चालक ने मारुति वेन को लोक मार्ग पर उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर उक्त 3 की मृत्यु कारित की। अतः उक्त चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 41/2009 दर्ज कर मृतकों के शव का परीक्षण

कराया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, वाहन की जाँच कराई गई तथा आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय श्री महेश कुमार सैनी द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 304-ए के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करना प्रकट किया गया, लेकिन किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

05— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 22.02.2009 को शाम के लगभग 4:30 बजे राजपुर रोड, बिलवा फाटे के पहले सोसाड पुलिया लोक मार्ग पर मारुति वेन क्रमांक एम.पी.09-बी.ए. 1545 को उपेक्षा या उतावलेपन चलाकर दो मोटरसाईकिलों को टक्कर मारकर उसमें सवार लक्ष्मण पिता पुरा, अमरसिंह पिता दगडू तथा नरेन्द्र पिता मौतीलाल की ऐसी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है?

### **- विचारणीय प्रश्न पर (i) सकारण निष्कर्ष -**

06— उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन जगदीश (अ.सा.-3) का कथन है कि घटना करीब 3 साल पहले बिलवा के बाद अंजड़ तरफ पुलिया के पास की है, वह घटना वाले दिन अंजड़ मोटरसाईकिल से आया था, उसके साथ रमेश भी था, अंजड़ तरफ से मारुति वेन वाला तेज गति एवं लापरवाही से चलाते हुए ला रहा था, उसने पुलिया के पास दो मोटरसाईकिल वालों को टक्कर मार दी, एक मोटरसाईकिल ग्राम कांसेल वाला एक व्यक्ति चला रहा था, जिसका नाम उसे ध्यान नहीं है तथा दूसरी मोटरसाईकिल ग्राम साली का लक्ष्मण चला रहा था, लक्ष्मण की मोटरसाईकिल के पीछे मोटरसाईकिल पर नरेन्द्र जैन बैठा हुआ था, लक्ष्मण की मोटरसाईकिल बजाज प्लेटिना थी। मारुति वेन की टक्कर लगने से ग्राम कांसेल का व्यक्ति पुलिया के नीचे गिर गया था तथा लक्ष्मण और नरेन्द्र घटना स्थल पर ही गिर गये थे और बेहोश हो गये थे। घटना स्थल पर सीताराम सरपंच और भगवान साली वाला तथा अन्य बहुत से लोग भी वहां पर इकट्ठे हो गये थे। उसने तथा अन्य व्यक्तियों ने एम्बुलेंस बुलायी और थाने पर सूचना दी थी, घायलों को वे बड़वानी अस्पताल ले गये थे। मारुति वेन का नम्बर उसने देखा था जो उसे ध्यान नहीं आ रहा है। पुलिस को उसने मारुति वेन का नम्बर बताया था। साक्षी का यह भी कथन है कि मारुति वेन का चालक मारुति को लेकर घटना स्थल से भाग रहा था, किन्तु वह हाथ नहीं आया। दुर्घटना

में घायल लक्ष्मण, नरेन्द्र और दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मारुति वेन वाला बाद में दवाना के आसपास पकड़ाया था। मारुति वेन चलाने वाले को उसने देखा था तथा पकड़ने की कोशिश की थी, जिसे सामने आने पर वह पहचान सकता है। इस साक्षी ने बाद में उपस्थित आरोपी को देखकर उसकी पहचान घटना वाले दिन मारुति वेन चलाने वाले व्यक्ति के रूप में की है।

07— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट नहीं लिखाई है। घटना के लगभग 5-6 दिन बाद पुलिस ने उसके कथन लेखबद्ध किये थे। उसने पुलिस को यह बता दिया था कि अभियुक्त के सामने आने पर वह पहचान लेगा। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने अभियुक्त को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अभियुक्त भाग गया था और वह उसे पकड़ नहीं पाया था। आरोपी शराब के नशे में था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जब वह अस्पताल पहुंचा तब पता चला कि आरोपी पकड़ा गया है और पुलिस ने उससे आरोपी की पहचान करवाई थी। इस साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह न्यायालय में इस कारण आरोपी को पहचानता है, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने आरोपी को घटना स्थल पर देखा है, यदि पुलिस ने उसके प्रदर्श डी 1 के कथन में आरोपी को देखकर पहचान लेने की बात नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जिस वाहन से दुर्घटना हुई उसमें 2-3 महिलाएं और 2-3 पुरुष बैठे थे, जिन्हें वह नहीं जानता है। साक्षी ने मारुति वेन का क्रमांक एम.पी.09-बी.ए. 1545 भी बताया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपी को घटना वाले दिन नहीं देखा था अथवा वह आरोपी की पहचान के संबंध में असत्य कथन कर रहा है। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया था, किन्तु गिरफ्तारी बताई या नहीं बताई वह नहीं बता सकता।

08— इसी प्रकार प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी के इस कथन का कोई भी खंडन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है कि आरोपी ने मारुति वेन क्रमांक एम.पी.09-बी.ए. 1545 को अंजड़ के पास बिलवा रोड़ लोक मार्ग पर उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर लक्ष्मण, नरेन्द्र की मोटरसाईकिल एवं एक अन्य व्यक्ति की मोटरसाईकिल को टक्कर मारी थी तथा तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी।

09— रमेश (अ.सा.1) का कथन है कि फरवरी 2009 की घटना है वह मोटरसाईकिल से अंजड़ आ रहा था, उसके साथ जगदीश भी था, वह मोटरसाईकिल चला रहा था, उसके आगे लक्ष्मण मोटरसाईकिल से अंजड़ की तरफ आ रहा था, जिसके पीछे नरेन्द्र बैठा था लक्ष्मण के आगे एक मोटरसाईकिल ओर थी जिसको तानसेन के हायर सेकेण्डरी स्कूल का चपरासी चला रहा था, सामने से मारुति वेन तेजी से आ रही थी और उसने दोनों मोटरसाईकिलों को टक्कर मार दी जिससे दोनों मोटरसाईकिल सवार गिर गये और उन्हें चोटें आईं। मारुति वेन वाले को रोकने की कोशिश की, लेकिन वेन वाला वहां से भाग गया, मारुति वेन क्रमांक एम.पी.09-बी.ए. 1545 था। फिर उसने ग्राम साली में भगवान को फोन

किया तो वह तथा सीताराम सरपंच मौके पर आये तथा तीनों घायलों को अस्पताल ले गये। लक्ष्मण की मौत हो गई थी और चपरासी का ईलाज चलू कर दिया था और नरेन्द्र को ईलाज के लिए उसके परिवार वाले इंदौर ले गये थे। साक्षी का यह भी कथन है कि वेन चला रहे व्यक्ति को वह पहचान नहीं सकता क्योंकि घटना बहुत पहले हुई थी।

10- भगवान (अ.सा.2), कलाबाई (अ.सा.4), सीताराम (अ.सा.5), सुनिताबाई (अ.सा.6) ने दुर्घटना में लक्ष्मण, अमरसिंह, नरेन्द्र की मृत्यु होने के संबंध में कथन किये हैं। कलाबाई (अ.सा.4) ने अपने पति लक्ष्मण की मोटरसाईकिल दुर्घटना में, सुनिताबाई (अ.सा.6) ने भी अपने पति अमरसिंह की मोटरसाईकिल दुर्घटना में मृत्यु होने के संबंध में कथन किये हैं। डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा (अ.सा.7) का कथन है कि दिनांक 22.02.2009 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में लक्ष्मण पिता पुराजी, निवासी साली तथा अमरसिंह पिता दगडू, निवासी कांसेल को मृत अवस्था में लेकर आने के संबंध में तथा उसकी सूचना थाना बड़वानी को देने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने उस सूचना प्रदर्श पी 2 एवं प्रदर्श पी 3 को प्रमाणित की है।

11- डॉ. रमेशचन्द्र चोयल (अ.सा.9) का कथन है कि दिनांक 23.02.2009 को जिला चिकित्सालय बड़वानी अंजड़ के प्रधान आरक्षक सुरेशचन्द्र राठौड़ द्वारा लाये जाने पर मृतक अमरसिंह पिता दगडू के शव का परीक्षण कर प्रदर्श पी 4 का शव परीक्षण प्रतिवेदन तैयार करने और अमरसिंह की मृत्यु का कारण अत्यधिक खून बहने के कारण सिर में आई चोटों के कारण 24 घंटे के भीतर होना पायी तथा अपने शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 को प्रमाणित किया है।

12- रितेश शर्मा (अ.सा.10), अशोक कुमार (अ.सा.11) एवं जीतेन्द्र शर्मा (अ.सा.12) आरोपी की गिरफ्तारी के साक्षी हैं, लेकिन इस प्रकरण में आरोपी द्वारा स्वयं की गिरफ्तारी स्वीकार की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षियों के कथन मात्र औपचारिक स्वरूप के रह जाते हैं। अशोक कुमार (अ.सा.11), जीतेन्द्र शर्मा (अ.सा.12) ने गिरफ्तारी पंचनामों में अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

13- केदारनाथ पाण्डेय (अ.सा.14) का कथन है कि दिनांक 16.03.2009 को थाना एम.आई. जी. चौकी विजय नगर इंदौर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। पुलिस चौकी से मृतक नरेन्द्र कुमार पिता मौतीलाल की मृत्यु होने की सूचना प्रदर्श पी 12 की प्राप्त होने पर उसने नक्शा लाश पंचायतनामा बनाने हेतु प्रदर्श पी 13 का सफीना फार्म जारी किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मृतक का नक्शा लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी 14 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिये एम.व्हाय.एच. अस्पताल भेजा था। साक्षी का यह भी कथन है कि प्रधान आरक्षक श्याम किशोर त्रिपाठी ने प्रदर्श पी 15 का जप्ती पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर श्याम किशोर त्रिपाठी के हस्ताक्षर हैं जो वह पहचानता है।

14- नितिन शर्मा (अ.सा.15) का कथन है कि 7 वर्ष पूर्व उसके पास मारुति वेन क्रमांक एम.पी.09.बी.ए. 1545 थी जो पुलिस ने जप्त की थी जो वाहन उसने न्यायालय में सुपुर्दगीनामे पर प्राप्त किया था। इस साक्षी को पक्ष

विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपी ने घटना दिनांक को मारुति वेन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर बिलवा फाटे के वहां मोटरसाईकिल को टक्कर मारी थी जिससे उस दुर्घटना में मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी।

15— दुलीचन्द पाटीदार (अ.सा.13) का कथन है कि दिनांक 23.02.2009 को थाना अंजड से मार्ग क्रमांक 12 एवं 13 तथा दिनांक 19.03.2009 को थाना अंजड से मार्ग क्रमांक 16 में दुर्घटना में मृत व्यक्ति लक्ष्मण पिता पुराजी, अमरसिंह पिता दगडू एवं नरेन्द्र पिता मौतीलाल की मार्ग सूचना जाँच हेतु प्राप्त हुई थी जो प्रदर्श पी 6 से प्रदर्श पी 8 है। उसने जाँच के दौरान साक्षी रमेश, भगवान और सीताराम के कथन लेखबद्ध किये थे और उनके कथनों के आधार पर अपराध क्रमांक 41/2009 मारुति वेन क्रमांक एम.पी.09.बी.ए. 1545 के चालक के विरुद्ध प्रदर्श पी 9 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने प्रदर्श पी 10 का नक्शा मौका बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने विवेचना के दौरान साक्षी रमेशचन्द्र, सुनिताबाई, कलाबाई, भगवान, जगदीश व सीताराम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने दिनांक 26.02.2009 को साक्षियों के समक्ष मारुति वेन क्रमांक एम. पी.09.बी.ए. 1545 को प्रदर्श पी 11 के अनुसार जप्त की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जो वाहन जप्त किया है वह राजपुर थाने के अपराध में पूर्व से जप्त था, जिसमें वाहन के कागजात एवं चालक की अनुज्ञप्ति भी जप्त की थी, जिसमें आरोपी का नाम भी लिखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे जो मार्ग डायरी जांच हेतु प्राप्त हुई थी उसमें वाहन क्रमांक का उल्लेख नहीं था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने जिन साक्षियों के कथन लिये थे उन साक्षियों ने आरोपी राकेश वाहन चला रहा था ऐसा नहीं बताया था, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि साक्षियों ने वाहन चालक को नहीं देखा था, इसलिये नहीं बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि उसे किसी साक्षी ने कोई कथन नहीं दिया था अथवा उसने साक्षियों के कथन मर्जी से लिख लिये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि थाना राजपुर में मारुति वेन क्रमांक एम.पी.09.बी.ए. 1545 के चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज था इस कारण उसने इस प्रकरण में असत्य रूप से वह वाहन जप्त कर लिया।

16— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवेचना अधिकारी दुलीचंद पाटीदार (अ.सा.13) ने यह स्वीकार किया है कि किसी भी अभियोजन साक्षी ने उसे आरोपी द्वारा वाहन चलाने के बारे में नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है। उनका यह भी तर्क है कि जगदीश (अ.सा.3) ने न्यायालय में आरोपी की पहचान असत्य रूप से की है, जबकि उसने घटना स्थल पर आरोपी को देखा नहीं था।

17— यह सही है कि दुलीचंद पाटीदार (अ.सा.13) ने बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि किसी भी अभियोजन साक्षी ने उसे आरोपी राकेश द्वारा वाहन चलाने की बात नहीं बताई थी तथा जगदीश

(अ.सा.3) के पुलिस कथन प्रदर्श डी-1 में भी आरोपी के नाम का उल्लेख नहीं है, लेकिन उक्त साक्षी के प्रदर्श डी 1 के कथन में यह उल्लेख है कि मारुति वाले को राजपुर पुलिस ने पकड़ लिया था और उन्होंने मारुति वाले को रोकना चाहा तो वह भाग गया। साक्षी ने न्यायालय में कथन के दौरान मुख्य परीक्षण में स्पष्ट किया कि मारुति वेन चलाने वाले को उसने देखा था तथा पकड़ने की कोशिश की थी तथा दिनांक 11.01.2016 को उक्त साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान मारुति वेन चलाने वाले व्यक्ति के रूप में की। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण के दौरान भी साक्षी ने स्पष्ट किया है कि रमेश और उसने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं पाये। साक्षी ने इस सुझाव से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने अभियुक्त को घटना वाले दिन नहीं देखा था। ऐसी स्थिति में साक्षी द्वारा आरोपी को न्यायालय में कथन के दौरान की गई पहचान पूर्णतः विश्वसनीय प्रतीत होती है और साक्षी के कथन से यह प्रमाणित होता है कि आरोपी द्वारा ही घटना दिनांक, स्थान व समय पर मारुति वेन को लोक मार्ग पर उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर दो मोटरसाईकिलों को टक्कर मारी गई जिससे नरेन्द्र, लक्ष्मण और अमरसिंह की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित हुई जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है।

18— रमेश (अ.सा.1) ने भी मारुति वेन क्रमांक एम.पी 09 बी.ए-1545 के चालक द्वारा तेजी से मारुति वेन चलाकर दो मोटरसाईकिलों को टक्कर मारने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं और उक्त साक्षी ने भी घटना स्थल पर अपने साथ जगदीश (अ.सा.3) को उपस्थित होना बताया है। उक्त साक्षी का कोई प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिपरीक्षण के अभाव में उक्त साक्षी के कथन पूर्णतः विश्वसनीय हैं।

19— इस घटना की सूचना तत्काल बाद रमेश (अ.सा.1) एवं जगदीश (अ.सा.3) द्वारा थाने पर दी गई जहां से तीनों घायल व्यक्तियों को उपचार के लिये अस्पताल भेजा गया तथा उनकी मृत्यु होने पर मर्ग जाँच के उपरांत दुलीचंद पाटीदार (अ.सा.13) ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 दर्ज की और विवेचना की। उक्त साक्षी के कथनों का भी प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई खण्डन नहीं हुआ है। नितिन शर्मा (अ.सा.15) के कथन से भी यह प्रमाणित होता है कि वर्ष 2009 में उसकी मारुति वेन क्रमांक एम.पी 09 बी.ए-1545 पुलिस द्वारा जप्त की थी जो कि उसने सुपुर्दगीनामें पर प्राप्त की थी तथा इस प्रकरण में साक्षी नितिन शर्मा (अ.सा.15) द्वारा निष्पादित उक्त मारुति वेन क्रमांक एम.पी 09 बी.ए-1545 का सुपुर्दगीनामा संलग्न है।

20— उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि आरोपी ने घटना दिनांक, स्थान व समय पर मारुति वेन क्रमांक एम.पी 09 बी.ए-1545 को लोक मार्ग पर उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर दो मोटरसाईकिलों को टक्कर मारी जिससे उसमें सवार लक्ष्मण पिता पुरा, अमरसिंह पिता दगडू और नरेन्द्र पिता मौतीलाल की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित हुई जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है। जो भा.द.वि. की धारा 304-ए का अपराध है, जो अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित हुआ है। अतः यह न्यायालय आरोपी राकेश पिता

प्रकाश योगी, उम्र 35 वर्ष, को भा.द.वि. की धारा 304-ए के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

21- प्रकरण की परिस्थितियों और अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने आरोपी को न्यूनतम दंडादेश देने का निवेदन इस आधार पर किया है कि- घटना के समय आरोपी लगभग 23 वर्ष का था तथा लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है।

22- यह सही है कि आरोपी घटना के समय लगभग 23-24 वर्ष का था और लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है, लेकिन आरोपी ने जिस तरह से लापरवाही पूर्वक लोक मार्ग पर वाहन चलाकर दो मोटरसाईकिलों को टक्कर मारकर तीन व्यक्तियों की मृत्यु कारित की उसे देखते हुए आरोपी को न्यूनतम दंडादेश से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह न्यायालय आरोपी राकेश पिता प्रकाश योगी, उम्र 35 वर्ष, को भा.द.वि. की धारा 304-ए के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा रुपये 1,000/- अर्थदंड से दण्डित करता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी तीन माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाए। आरोपी द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि कारावास की सजा में समायोजित की जाये। उक्त अनुसार द.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

23- अभियुक्त को निर्णय की प्रति निशुल्क दी जाये।

24- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मारुति वेन क्रमांक एम.पी. -09-बी.ए-1545 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी/सुपुर्ददार के पास अंतरिम सुपुर्दगी पर मय कागजात के हैं। उक्त सुपुर्दनामा, बाद अपील अवधि, अपील न होने पर नियमानुसार उसी के पक्ष में स्वतः निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

-सही-

-सही-

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
ठीकरी जिला बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
ठीकरी, जिला बड़वानी, म.प्र.